न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–02/2011 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सुनील सैनी पुत्र गंगालहरी उर्फ लहरी जाति सैनी पौत्र अंधू वासी जटयाना वारिस काबिज जायदाद गंगालहरी मृतक।

.... अपीलांट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र टेडाराम सैनी मृतक।
1/1. कैलाश पुत्र रामप्रसाद।
1/2. दिनेशचंद पुत्र रामप्रसाद।
1/3. किशनलाल पुत्र रामप्रसाद।
1/4. मु0 फुलबाई पुत्री रामप्रसाद।
जति सैनी वासी साहजीवाला कुआ मनुमार्ग चौराया अलवर।
2. सब रजिस्टार महोदय, अलवर।

.... असल रेस्पो0

3. अंधू पुत्र दौला सैनी मृतक।
3/1. मु0 चतरी पत्नि गंगालहरी।
3/2. नारायण सैनी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र अंधू राम सैनी।
3/3. लक्ष्मन पुत्र अंधूराम।
3/4. रतीराम पुत्र अंधूराम।
3/5. मु0 गंगादेवी पत्नि सोहनलाल पुत्री अंधूराम सैनी।
3/6. मु0 सोमादेवी पत्नि लीलाराम पुत्री अंधूराम।
3/7. मु0 चम्पादेवी पुत्री अंधूराम सैनी।
4. घनश्याम पुत्र गंगालहरी।
5. श्याम पुत्र गंगालहरी।
6. अनिता पुत्री गंगालहरी।
7. मुननी पुत्री गंगालहरी।
8. सविता पुत्री गंगालहरी।
9. कविता पुत्री गंगालहरी।
नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता मु0 चतरी स्त्री गंगालहरी जाति सैनी निवासी जटयाना अलवर।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर।

.... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री रोहिताश सैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अदालत में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि संवत 2051, साबिक खसरा नंबर 399 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 874 रकबा 39 एयर, 875 रकबा 2 एयर, 876 रकबा 39 एयर, साबिक खसरा नंबर 483 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1135 रकबा 45 एयर, साबिक खसरा नंबर 484 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1136 रकबा 30 एयर, साबिक खसरा नंबर 523 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1230 रकबा 40 एयर, साबिक खसरा नंबर 543 रकबा 12 बिस्वा हाल खसरा नंबर 954 रकबा 15 एयर, साबिक खसरा नंबर 544 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल 953 रकबा 55 एयर, साबिक खसरा नंबर 688 रकबा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1364 रकबा 15 एयर, साबिक खसरा नंबर 706 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1372 रकबा 1 एयर, 1373 रकबा 31 एयर, साबिक खसरा नंबर 713 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1396 रकबा 33 एयर, साबिक खसरा नंबर 746 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1332 रकबा 45 ऐयर, वाके जटियाना में 5 बीघा की आराजी विवादित है। जिस पर वादी काबिज काश्त है। खसरा नंबर 1372 रकबा 1 एयर पर वादी एवं प्रतिवादी शामिल में बोरिंग करवा रखा है। बंदोबस्त संवत 2020 में साबिक खसरा नंबर 429 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 399 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 712 मि. रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हाल 483 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 712 मि. रकबा 1बीघा 4 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 484 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 705 मि रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के हाल 523 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 495 रकबा 12 बिस्वा हाल खसरा नंबर 543 रकबा 12 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 494 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा हाल 544 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, साबिक 613 मिन रकबा 12 बिस्वा हाल 688 रकबा 12 बिस्वा, साबिक 621 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा हाल 706 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, साबिक 628 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा हाल 713 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, साबिक 612 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा हाल 746 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बने। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2010 लगायत 2013 अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी किता 10 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा थी। वादी व प्रतिवादी दोनों के पास 10 बीघा

1 बिस्वा व 10 बीघा 2 बिस्वा दोनों के नाम राजस्व रिकार्ड में होनी चाहिये थी। लेकिन वादी के नाम केवल 5 बीघा आराजी राजस्व रिकार्ड में आई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 15 बीघा राजस्व रिकार्ड में आई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बाहमी तकासमा पूर्व में ही हो चुका था। बंदोबस्त विभाग संवत 2051 के हाल खसरा नंबर 1229 रकबा 42 एयर, साबिक खसरा नंबर 517 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1301 रकबा 31 एयर, साबिक खसरा नंबर 680 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1365 रकबा 30 एयर साबिक खसरा नंबर 704 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1367 रकबा 30 एयर साबिक खसरा नंबर 742 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके जटियाना जिनका इस वाद में कोई विवाद नही है। वादी के नाम कब्जा व खातेदारी संवत 2010 के आधार पर आ गयी है। जिसका वर्तमान में वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी में से हाल खसरा नंबर 1135 रकबा 45 एयर, 1136 रकबा 30 एयर में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दी। चूंकि ये खसरा नंबर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त बहामी के थे। इसलिये उन्हें पक्षकार नही बनाया गया । बहामी बंटवारे के आधार पर हाल खसरा नंबर 1230 रकबा 40 एयर, 1372 रकबा 1 एयर, 1373 रकबा 31 एयर में से 6 एयर, 1396 रकबा 33 सालिम, खसरा नंबर 1332 रकबा 45 एयर सालिम वाके जटियाना पर बाहमी तकासमा संवत 2010 में आधार पर वादी का कब्जा काश्त है और वो ही उसका खातेदार काश्तकार है।आज भी मेरा कब्जा काश्त है। दिनांक 01.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 1230, 1373, 1396, 1332 पर वादी के कार्यकाश्त में व्यवधान पैदा किया और बेदखल करने की धमकी दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.2008 को वाद वादी डिक्री करार दिया जाकर हाल आराजी खसरा नबर 1230 रकबा 40 एयर सालिम, खसरा नंबर 1372 रकबा 1 एयर, 1373 रकबा 31 एयर में से 6 एयर, खसरा नंबर 1396 रकबा 33 एयर सालिम खसरा नंबर 1332 रकबा 45 एयर सालिम का खातेदार घोषित किया। जिस निर्णय दिनांक 31.12.2008 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता जा.दी. का पेश किया।तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में तथ्यों का अंकन किया है कि मिन अपीलांट को वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में पक्षकार नही बनाया।रेस्पो0 ने इकतरफा में मिन अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करा लिया व अपने नाम का गलत प्रकार से इन्द्राज कागजात माल में करा लिया। जिस डिक्री व गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पो0 असल कैलाश गांव में दिनांक 08.12.2010 को आया व दीगर व्यक्तियों को आराजी मुतनाजा का बेचान करने हेतु दिखाने लगा। मिन अपीलांट के यह कहने पर कि आराजी मुतनाजा हमारे हकूक कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी है व हमारा इन्द्राज चला आ रहा है साथ ही हम मौके पर भी काबिज हैं, कैलाश ने कहा कि आराजी मुतनाजा का वाद डिक्री करा लिया है। जिस पर मिन अपीलांट को जानकारी करने पर पर्चा डिक्री की नकल 09.12.2010 को मिली। अपीलांट नाबालिग था, अधीनस्थ न्यायालय

में पक्षकार ही नही था। ना तो उस पर ना ही उसकी माता पर विधिवत तामील हुई है। अधीनस्थ न्यायालय से बिना पक्षकार बनाये एकतरफा फैसला करा लिया गया जबकि अपीलांट आवश्यक पक्षकार था। अपीलांट के हक हकूक उक्त आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। आराजी मुतनाजा पर अपीलांट के मकानात बने हुये हैं। अतः उक्त देरी जेर दफा 5 कानून मियाद माफ की जाकर मुजरा दी जावे व अपील अपीलांट अंदर मियाद करार दी जावे।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 ने अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश अलवर की अदालत में एक वाद संख्या 1/53 बअनुवानी रामप्रसाद बनाम अंधू अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर किया गया तथा द्वितीय वाद संख्या 1/82/99 अनुवानी अंधू बनाम रामप्रसाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अदालत उप जिलाधीश अलवर में ही अपीलांट के दादा द्वारा दायर किया गया। जिसमें अपीलांट के दादा की मृत्यु दिनांक 17.07.1999 उपरान्त उनका मरम्मत सवाल उनके विधिक वारिसान जिनमें सुनील भी था, द्वारा दिनांक 08.10.99 को पेश किया गया। जिसका जबाव रामप्रसाद प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.10.1999 को पेश किया जाकर उसी दिन मृतक अंधू के समस्त वारिसान को रिकार्ड पर ले लिया गया। रामप्रसाद बनाम अंधू व अंधू बनाम रामप्रसाद, दोनों वादों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जाब्ता दीवानी धारा 10 के अंतर्गत समेकन किया गया। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के अधिवक्तागण दिनांक 16.07.2008 तक न्यायालय में पेशी पर आते रहे उसके पश्चात अंतिम निर्णय 31.12.2008 तक अपीलांट अनुपस्थित हो गये। रेस्पो0 द्वारा अपनी भूमि बेचने के लिये दिखाने का प्रश्न ही नही उठता है। उनकी तरफ से वकालतनामा श्री नित्यानन्द शर्मा द्वारा पेश कर दिया गया। इसके उपरान्त उक्त दोनों वाद में समान पक्षकार तथा एक समान विवादित आराजी तथा समान अदालत तथा वाद की प्रकृति समान होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पेश हुआ। जिस पर दोनों ही वादों को कन्सोलिडेट कर कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अमल में लाई गई। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 द्वारा लापरवाही से जानबूझकर पेशी पर आना बंद कर दिया।माननीय अधीनस्थ अदालत द्वारा दिनांक 16.07.2008 को अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली नियमानुसार कानून सम्मत तरीके से निर्णीत फरमाई गई। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही पक्षकार बनाया जा चुका था तथा पत्रावली में रिकार्ड पर आ चुका था। चूंकि अपीलांट नाबालिग था इसलिये उसकी ओर से उसकी माता चतरी देवी नियमित पेशी पर उपस्थित रही। इस प्रकार उसकी माता की उपस्थिति दीवानी प्रकिया संहिता के तहत अपीलांट की उपस्थिति मानी जावेगी।अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही जरिये अधिवक्ता उपस्थित चले आ रहे थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अपील मियाद बाहर होने के कारण प्रारम्भिक अवस्था में ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये गये।

आर.आर.डी 1983 पेज 328, आर.आर.डी 2011 पेज 11, ए.आई.आर 1987 एस.सी 1353, आर. आर.डी 2003 पेज 421.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई।

आर.आर.टी 2018 (2) पेज 1112, आर.बी.जे 2017 पेज 536, आर.बी.जे 2017 पेज 232, 2015(1) आर.आर.टी पेज 232, 2014(1) आर.आर.टी पेज 154.

बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता जा.दी. पर अभिभाषक अपीलांट ने अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 रामप्रसाद मृतक ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिस पर अंधू प्रतिवादी ने अपना जबावदावा पेश किया जिसके बाद अंधू का स्वर्गवास हो गया। जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र मिन अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये गलत तरीके पर वादी रेस्पो0 ने पेश कर दिया व जिन प्रतिवादी की इकतरफा कराकर वादी रेस्पो0 ने इकतरफा में अपना वाद तहत अदालत से डिक्री करा लिया जबकि मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 मृतक अंधू के जायज वारिस काबिज जायदाद है व वारिसान हैं। जो एक आवश्यक पक्षकार थे। लेकिन वादी रेस्पो0 ने जान बूझकर उन्हें पक्षकार वाद में नही बनाया। वाद डिक्री हो जाने से मिन अपीलांट के हकूक जायल होकर खतरे में पड जाने का अंदेशा है। आराजी मुतनाजा मिन अपीलांट के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है व राजस्व रिकार्ड में भी मिन अपीलांट के बुजुर्ग का इन्द्राज चला आ रहा है।जिससे तहत अदालत के निर्णय व डिक्री से मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 प्रभावित हो रहे हैं।जिससे उक्त अपील दायर करने की इजाजत दिया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के जबाव में अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश अलवर की अदालत में एक वाद संख्या 1/53 बअनुवानी रामप्रसाद बनाम अंधू अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर किया गया तथा द्वितीय वाद संख्या 1/82/99 अनुवानी अंधू बनाम रामप्रसाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अदालत उप जिलाधीश अलवर में ही अपीलांट के दादा द्वारा दायर किया गया। जिसमें अपीलांट के दादा की मृत्यु दिनांक 17.07.1999 उपरान्त उनका मरम्मत सवाल उनके विधिक वारिसान जिनमें सुनील भी था, द्वारा दिनांक 08.10.99 को पेश किया गया। जिसका जबाव रामप्रसाद प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.10.1999 को पेश किया जाकर उसी दिन मृतक अंधू के समस्त वारिसान को रिकार्ड पर ले लिया गया। उनकी तरफ से वकालतनामा श्री नित्यानन्द शर्मा द्वारा पेश कर दिया गया। इसके उपरान्त उक्त दोनों वाद में समान पक्षकार तथा एक समान विवादित आराजी तथा समान अदालत तथा वाद की प्रकृति समान होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पेश हुआ। जिस पर दोनों ही वादों को कन्सोलिडेट कर कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अमल में लाई गई। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 द्वारा लापरवाही से जानबूझकर पेशी पर आना बंद कर दिया।माननीय अधीनस्थ अदालत द्वारा दिनांक 16.07.2008 को अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली नियमानुसार कानून सम्मत तरीके से निर्णीत फरमाई गई। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही पक्षकार बनाया जा चुका था तथा पत्रावली में रिकार्ड पर आ चुका था। चूंकि अपीलांट नाबालिग था इसलिये उसकी ओर से उसकी माता चतरी देवी नियमित पेशी पर उपस्थित रही। इस प्रकार उसकी माता की उपस्थिति दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलांट की उपस्थिति मानी जावेगी।अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

पूर्व से ही जरिये अधिवक्ता उपस्थित चले आ रहे थे। तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी गलत व बेजा तौर पर पेश किया गया है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

आर.आर.डी 1997 पेज 287, आर.आर.डी 2004 पेज 607, आर.आर.डी 1995 पेज 668, आर. आर.टी 1994 पेज 341.

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं क्योंकि देरी को माफ करने हेतु अवधि का बिंदु महत्वपूर्ण नही है,बल्कि वह पृष्ठभूमि जिसके कारण देरी हुई है, महत्वपूर्ण है। जब कोई अवैध आदेश कानून के विपरीत है तो देरी क्षम्य है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह निष्कर्ष है कि "विलम्ब" प्रकरणों में न्यायालय को लचीला रूख अपनाना चाहिये।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नही होते हैं क्योंकि पूर्व में ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने के दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रकरण में खातेदारी अधिकारों का निर्धारण होना है, प्रक्रिया में तामील आवश्यक बिंदु है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी जा.दी. पर प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही है तथा वह प्रभावित व्यक्ति है तो उसे अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया व सम्मन के तामील का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सुनील की मां चतरी देवी पत्नि गंगालहरी की तामील उस पर न होकर अन्य पर दिनांक 27.12.1999 को की गई है। तहसीलदार द्वारा भी उसको वैसे ही अग्रेषित कर दी। संशोधित टाईटल में भी सुनील पुत्र गंगालहरी अंकित है। वह वयस्क था या अवयस्क, यदि अवयस्क था तो जरिये सरपरस्त माता चतरी देवी का अंकन होना चाहिये था। यदि वयस्क था तो तामील जारी होनी चाहिये थी। जब प्रकरण में सुनील जरिये सरपरस्त का अंकन नही किया तो सरपरस्त, उसकी ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत नही है। दूसरा बिंदु यह भी है कि सुनील की माता को भी विधिवत तामील ही नही हुई है। स्पष्ट रूप से आदेश 09 नियम 13 सीपीसी 1908 की पालना ही नही हो पाई। इस प्रकार विधिवत रूप से तामील नही होने के कारण वाद में अपने हितों की पैरवी नही कर सके।

अब उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं 96 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई है। अपीलांट के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण में दोनों ही प्रार्थना पत्रों पर उपर्युक्त कारणों से चस्पा होती हैं। उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं 96 सीपीसी जा.दी. बाद बहस स्वीकार किया जाता है।

मैरिट की बहस पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि मिन अपीलांट अंधू के पुत्र गंगालहरी मृतक के वारिसान हैं। अंधू का मरम्मत सवाल पेश होने पर उसमें मृतक गंगालहरी के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया और मिन अपीलांट व अन्य वारिसान मृतक गंगालहरी के थे वो भी अंधू के मरम्मत सवाल मंजूर होने वक्त नाबालिगान थे। उस समय

भी मिन अपीलांट नाबालिग था। जिससे नाबालिगों के अधिकारों के खिलाफ उक्त निर्णय प्रभावित है। उक्त विवादित आराजी मिन अपीलांट व मिन अपीलांट के बुजुर्ग अंधू के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी।लेकिन तहत अदालत द्वारा राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ अदालत द्वारा तनकीयात कायम किये बिना व बिला जबावदावा का अवलोकन किये दावा डिक्री किया है। हाल खसरा नंबर 1229 को वादी द्वारा जानबूझकर विवादित नही बनाया गया। वादी के कथनानुसार खसरा नंबर 705 साबिक शामलात का होना अंकित किया है। जिस खसरा नंबर में से 1229 रकबा 42 एयर जिसका साबिक खसरा नंबर 517 जिसका संवत 2020 का खसरा नंबर 705 पूर्व से वादी के नाम का इन्द्राज 1/2 व शेष अंधू का था।जो अंधू की खातेदारी में चला आ रहा था जिस नंबर में वादी किसी भी प्रकार से तकसीम कराने का अधिकारी नही था। लेकिन तहत अदालत ने संवत 2020 के खसरा नंबर 705 को वादी को गलत तरीके से खातेदार काश्तकार घोषित किया है। तहत अदालत ने बिना प्रारम्भिक डिक्री बनाये व बिना मौके व कब्जे की जांच कराये इकतरफा में बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये आराजी खसरा नंबर 1230 सालिम, 1372 रकबा 1 एयर, 1373 रकबा 31 एयर में से 6 एयर, 1396 रकबा 33 एयर सालिम, 1332 रकबा 45 एयर मुतनाजा का वाद गलत तरीके पर डिक्री कर दिया। मौके पर आज भी मृतक अंधू के बाद अपीलांट व दीगर रेस्पो0 का कब्जा आराजी मुतनाजा पर चला आ रहा है। रेस्पो0 रामप्रसाद मृतक ने गलत तरीके पर अंधू प्रतिवादी का परिवार का सदस्य बनकर वाद दायर किया जबकि वादी व वादी के पिता का प्रतिवादी अंधू के परिवार से संबंध नही है। अन्य खसरा नंबरान भी अंधू प्रतिवादी के अकेले हकूक कब्जे काश्त खातेदारी के नंबर थे जो संवत 2010 से पूर्व उसके नाम काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अपीलांट व अपीलांट का बुजुर्ग अंधू बिस्वेदारी उन्मूलन व राजस्थान टेनेंसी एक्ट आने से पूर्व से काबिज था व उसके बाद मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 काबिज हैं जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज था व संवत 2020 में भी अंधू खातेदार काश्तकार दर्ज हो रहा है व संवत 2020 से पूर्व व पश्चात बनी जमाबंदी व गिरदावरी में भी अंधू पुत्र दौलया का इन्द्राज था। जिससे साबित व जाहिर था कि अंधू का कब्जा काश्त मौके पर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाबुल जबाव अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया और कथन किया कि अधीनस्थ अदालत में विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2010 लगायत 2013 अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी किता 10 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा थी। वादी व प्रतिवादी दोनों के पास 10 बीघा 1 बिस्वा व 10 बीघा 2 बिस्वा दोनों के नाम राजस्व रिकार्ड में होनी चाहिये थी। लेकिन वादी के नाम केवल 5 बीघा आराजी राजस्व रिकार्ड में आई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 15 बीघा राजस्व रिकार्ड में आई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बाहमी तकासमा पूर्व में ही हो चुका था। बंदोबस्त विभाग संवत 2051 के हाल खसरा नंबर 1229 रकबा 42 एयर, साबिक खसरा नंबर 517 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1301 रकबा 31 एयर, साबिक खसरा नंबर 680 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1365 रकबा 30 एयर साबिक खसरा नंबर 704 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1367 रकबा 30 एयर साबिक

खसरा नंबर 742 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके जटियाना जिनका इस वाद में कोई विवाद नही है। वादी के नाम कब्जा व खातेदारी संवत 2010 के आधार पर आ गयी है। जिसका वर्तमान में वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी में से हाल खसरा नंबर 1135 रकबा 45 एयर, 1136 रकबा 30 एयर में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दी। चूंकि ये खसरा नंबर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त बहामी के थे। इसलिये उन्हें पक्षकार नही बनाया गया । बहामी बंटवारे के आधार पर हाल खसरा नंबर 1230 रकबा 40 एयर, 1372 रकबा 1 एयर, 1373 रकबा 31 एयर में से 6 एयर, 1396 रकबा 33 सालिम, खसरा नंबर 1332 रकबा 45 एयर सालिम वाके जटियाना पर बाहमी तकासमा संवत 2010 में आधार पर वादी का कब्जा काश्त है और वो ही उसका खातेदार काश्तकार है।आज भी मेरा कब्जा काश्त है। दिनांक 01.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 1230, 1373, 1396, 1332 पर वादी के कार्यकाश्त में व्यवधान पैदा किया और बेदखल करने की धमकी दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.2008 को वाद वादी डिक्री करार दिया जाकर हाल आराजी खसरा नबर 1230 रकबा 40 एयर सालिम, खसरा नंबर 1372 रकबा 1 एयर, 1373 रकबा 31 एयर में से 6 एयर, खसरा नंबर 1396 रकबा 33 एयर सालिम खसरा नंबर 1332 रकबा 45 एयर सालिम का खातेदार घोषित किया। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई। आर.आर.टी 2003(1) पेज 709, 1995(2) आर.बी.जे 25, आर.आर.डी 2002 पेज 506, आर.आर. डी 2008 पेज 646, 2016(1) आर.आर.टी 2080.

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई। आर.आर.डी 1999 पेज 55, आर.आर.डी 1994 पेज 761.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.08 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

विवादित आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संवत 2010–2013 अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वजों की शामलाती (रामप्रसाद व अंधू हिस्से बराबर कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा) अंकित है। बंदोबस्त अवधि में अंधू पुत्र दौला के नाम 15 बीघा 4 बिस्वा अंकित है। वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत आर.आर.डी 1999 पेज 55 व आर.आर.डी 1994 पेज 761 इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं क्योंकि सेटलमेंट को पूर्व की रेकार्ड प्रविष्टियों को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था जिसके कारण वादी/रेस्पो0 द्वारा वाद बाबत अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53, 88, 89, 188 का किया गया।

तहत न्यायालय में वादी रामप्रसाद वगैरहा द्वारा धारा 53, 88, 89, 188 अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रतिवादी अंधू द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावे किये गये। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दोनों दावों का समेकन किया गया, जो धारा 10 सीपीसी के अंतर्गत किया गया। तहत न्यायालय द्वारा दोनों दावों के समेकन करते समय दोनों क्रोस सूट के आधार पर तनकीयात कायम करनी चाहिये थी परन्तु

ऐसा न करके जा.दी. आदेश 20 नियम 5 की पालना नही की गई। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। तहत न्यायालय को दोनों क्रोस सूट व उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार विस्तृत विवेचना कर निर्णय करना चाहिये था। परन्तु उक्त कानूनी बिन्दु की पालना नही की गई।

तहत न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिंदु पर भी गौर नही किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के क्रियान्वयन हेतु नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना करना भी अनिवार्य है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत यहां पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम प्रारंभिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर उससे कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाकर एवं उस पर भी दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का मौका दिया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जानी चाहिये थी, जो कि तहत अदालत द्वारा नही की गई। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नही है कि उनका बहामी बंटवारा हो रखा था। ऐसा बंटवारा भी विधि अनुसार तभी मान्य है जबकि बंटवारा तहसीलदार के सम्मुख किया गया हो और तहसीलदार द्वारा उसको लिखित में मान्यता दी हो।

इस प्रकार तहत अदालत द्वारा अपीलांट जरिये सरपरस्त माता व स्वयं उसकी माता चतरी देवी की वाद में विधिवत तामील करवाये बिना (आदेश 09 नियम 13 के अनुसार) एक पक्षीय कार्यवाही करना, क्रोस सूट को समेकित करने के उपरान्त, बिना विवाद्यक की रचना किये (आदेश 20 नियम 5 के अनुसार) और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के नियम 18 से 21 की बिना पालना किये ही निर्णय पारित किया है। इस प्रकार जो निर्णय अधीनस्थ अदालत द्वारा दिनांक 31.12.2008 को पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2008 को अपास्त किया जाता है। इस संबंध में किये गये राजस्व रेकार्ड को भी कलमजन किया जाता है। प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये गुणावगुण पर पुनः अपना निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 13.02.2019 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर